फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री भेरूलाल उर्फ भेरिया** | विपक्षी :– **राज्य**

किस्म मुकदमा :– 136 एलआरएक्ट | पत्रावली संख्या :– **94/24 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :– **2024/369**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 08.12.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में अपना स्वयं का नाम भेरिया पिता नारीया चमार गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशनकार्ड की फोटोप्रति, वोटर आईडी की फोटोप्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की फोटोप्रति, नगरपालिका सनवाड द्वारा जारी पट्टे की फोटोप्रति, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड का विधुत खर्च के बिल की फोटोप्रति, बैंक पास बुक की फोटोप्रति, प्रार्थी स्वयं का शपथ पत्र एवं सहखातेदार रतनलाल एवं चम्पा का 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र एवं नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा जारी पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अनुसार नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी का नाम भेरूलाल पिता नारायण लाल जटीया होना जाहिर होता है। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट एवं नगपालिका फतहनगर सनवाड द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार भी भेरूलाल पिता नारायण एवं भेरीया पुत्र नारीया को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्रामीण परिवेश में आपस में बोलचाल में अलग नाम से पुकारते है जबकि वास्तविक नाम अलग होता है। पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय ग्रामीणों से मृतक के वारिसान के संबंध में पुछताछ/जानकारी करता है तो ग्रामीणजन उनको जिस नाम से पुकारते है वही नाम बता देते है। जिससे उनका नामान्तरकरण वास्तवित नाम से पारित नही होकर ग्रामीण क्षेत्र के बोलचाल के नाम से हो जाता है। इस प्रकरण में भी प्रार्थी को जिस [illegible] पुकारते थे वही नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया जबकि [illegible] का वास्तविक नाम वह नही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:57 IST
Reason: SelfAttested

था। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 881, 882 पर दर्ज आराजीयात भूमि में प्रार्थी का नाम भेरीया पिता नारीया चमार के बजाय भेरीया उर्फ भेरूलाल पिता नारीया उर्फ नारायण लाल जटीया संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:57 IST
Reason: SelfAttested